मेरठ विकास प्राधिकरण

की

96 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 19—12—2011

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 96वीं बैठक दिनांक 19–12–2011 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 96वीं बैठक कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 19–12–2011 को सांय 6.30 बजें सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री जे0सी0 आदर्श,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री अनिल कुमार	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री एच0एन0शुल्का	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव वित्त (व्यय–नियन्त्रण)	सदस्य
6.	श्री यू0के0तायल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
7.	श्री डी0आर0दुबे	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय खण्ड, मेरठ।	सदस्य
8.	डा0 आभा गुप्ता	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य

9.	श्री विमल कुमार शर्मा	संयुक्त आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	सदस्य
10.	श्री हितेश कुमार	सहायक नियोजन, एन0 सी0 आर0 गाजियाबाद	सदस्य
11.	श्री सुधीर कुमार सिंह	पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	विशेष आमन्त्रित सदस्य
12.	श्री अनुराग पटेल	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–06–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–06–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–06–2006 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 3

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2

मा0 बोर्ड द्वारा विगत डेढ़ वर्ष में अवैध बारातघरों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा शेष बचे हुए 8 बारातघरों के विरूद्ध दिनांक 31–12–2011 तक सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 8

मा0 बोर्ड द्वारा विगत डेढ़ वर्ष में रूड़की–देहरादून बाईपास पर मार्ग–विस्तार एवं ग्रीनवर्ज में बने अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की गयी और निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन प्रकरणों का परीक्षण करके उनके विरूद्ध कार्यवाही मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार एवं ध्वस्त होने से शेष रह गये अवैध निर्माणों के विरूद्ध दिनांक 31–12–2011 तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 17–11–2009 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 7

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी, शताब्दीनगर, लोहियानगर, गंगानगर एक्सटेंशन में बीच–बीच में अर्जन से छूटी हुई भूमि को अर्जित करने के स्थान उनके भू–स्वामियों से 3000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के तलपट मानचित्र तथा 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग मानचित्रों को स्वीकृत करते समय लागू बाहय् विकास शुल्क जमा कराकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना के तलपट मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किये जाने तथा 3000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्रों को स्वीकृत करते समय लागू आन्तरिक एवं वाहय् विकास शुल्क लेकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना के तलपट मानचित्र के अनुसार स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएं जिसमें ऐसे भू–स्वामियों की भूमि जो मेरठ महायोजना–2021 अथवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना के तलपट मानचित्र में सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा सड़क, पार्क, ग्रीन बेल्ट, नाला व नाली आदि अंकित हो, को अर्जन से अपवर्जित न करके उसे कृषकों से, उन्हें रॉ लैण्ड का मूल्य देते हुए प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कराये जाने की सहमति शामिल हो। समस्त लम्बित प्रकरणों की संकलित सूची तैयार की जाए तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अर्जन मुक्त करने एवं मानचित्र, सक्षम

स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। शेष मामलों की आगामी बोर्ड बैठकों में समीक्षा टिप्पणी प्रस्तुत की जाए।

प्राधिकरण की 92 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–07–2010 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 1

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 5

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि वर्ष 2008 की दर को आधार मानते रक्षापुरम योजना की शेष दुकानों का तदनुसार मूल्यांकन करके निविदा सह नीलामी से विक्रय किया जाये।

प्राधिकरण की 93 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–07–2010 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 9

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा योजनाओं में स्थित कम्यूनिटी सेन्टर्स का किराया स्वयं निश्चित न करके उसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर आम जनता से किराये हेतु ऑफर प्राप्त कर लिये जाये तथा प्राप्त दर को निर्णयार्थ आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद सं0 : 10

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 11

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 13

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शेष बचे हुए 3 आवंटियों की भी शीघ्र रजिस्ट्री करायी जाये।

अनुपूरक प्रस्ताव–93वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 13–12–2010 पर अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 : 4

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त योजना में निहित भूमि अधिग्रहीत किये जाने की स्थिति में योजना में शामिल भूमि के अधिग्रहण करने में क्या कॉस्ट आयेगी और प्राधिकरण किस दर से उसे बेच सकेगा, का परीक्षण करते हुए योजना की वायविलिटी देख ली जाये। योजना में शामिल ऐसी भूमि जिस पर पूर्व में मानचित्र स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा ऐसी भूमि जिस पर स्वीकृति हेतु मानचित्र विचाराधीन है, का भी परीक्षण कर योजना की वायविलिटी के सम्बन्ध में समेकित आख्या अगली बोर्ड बैठक में रखी जाये।

प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11–04–2011 पर अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 1

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 2

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 3

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद सं0 6

निर्णय 89 के मद सं0 7 के अनुसार।

प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11–04–2011 के अनुपालन मद पर अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 : 1

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 : 3

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 : 4

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–06–2011 पर अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 1

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–12–2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 1

मा0श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना तृतीय चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों के अर्न्तगत आने वाली ग्राम कांशी तथा ग्राम बराल परतापुर की नगर निगम की पुनर्ग्रहीत भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना।

माननीय बोर्ड द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 2

शताब्दी नगर आवासीय योजना के सेक्टर–8 के तलपट मानचित्र के अनुमोदन के संबंध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद सं0 : 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की डिफेन्स एन्कलेव योजना के पॉकेट बी में विधिक माप प्रयोगशाला की स्थापना हेतु व्यवसायिक कम आवासीय श्रेणी का भूखण्ड सं0 बी0सी0–23 क्षेत्रफल 202.50 वर्ग मीटर का आरक्षित दर पर आवंटन का प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद सं0 : 4

मेरठ विकास प्राधिकरण की बुद्धा एन्कलेव, पॉकेट डी, डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना में अन्धे बच्चों को शिक्षा देने हेतु स्कूल की स्थापना के लिये शासनादेश सं0 1967/9–आ–1–20 रिट/2000 आवास अनुभाग–1 दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के अन्तर्गत अनुमन्य दर से भूमि आवंटन का प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड को विकलांगों की शिक्षण संस्था हेतु आरक्षित कर विकलांगो की शिक्षण हेतु पंजीकृत अन्य संस्थाओं से भी आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया जाये एवं शासनादेश सं0 1967/9–आ–1–20 रिट/2000 आवास अनुभाग–1 दिनांक 27 अप्रैल, 2001 में उल्लिखित समिति से परीक्षण कराकर आख्या आगामी बोर्ड में रखी जाये।

मद सं0 : 5

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग की 12.217 हैक्टेयर भूमि के परिवर्तन स्वरूप समतुल्य भूमि प्राधिकरण द्वारा शताब्दीनगर योजना में उपलब्ध कराये जाने हेतु पारित परिचालन प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 6

विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु बजट प्राविधान के सम्बन्ध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्परीक्षा मद से 50 लाख रूपये तथा अन्य मद से 1 करोड़ रूपये विज्ञापन व्यय मद में समायोजित कर लिये जाये।

मद सं0 : 7

रक्षापुरम् आवासीय योजना के अर्न्तगत खसरा सं0–140 रकबा 14–6–0 बीघा अर्जित भूमि के विरूद्ध भू–स्वामी को 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–89 के मद सं0 19 पर लिये गये निर्णय को यथावत रखते सामान्य रूप से आवंटित करते हुए मानचित्र स्वीकृति के समय लागू बाहय् एवं आन्तरिक विकास शुल्क भूस्वामी से प्राप्त करके नियमानुसार उसका मानचित्र स्वीकृत किया जाये।

मद सं0 : 8

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 को मेरठ विकास प्राधिकरण में अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

मद सं0 : 9

श्री महक सिंह सेवानिवृत्त, ए0डी0एम0एल0ए0 को किसानों एवं प्राधिकरण से समन्वय कर भूमि अर्जन सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु, पूर्व शर्तानुसार दिनांक 10.8.11 से 09.11.2011 तथा 10.11.11 से 31.03.2012 तक विशेष कार्याधिकारी के रूप में नामित/नियुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 : 10

श्री राम अवतार गुप्ता, सहायक अभियन्ता के दिनांक 22.10.09 को अचानक हुए हार्टअटैक के उपरान्त कराये गये उपचार में होने वाले व्यय अंकन रू0 3,12,253/– की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्देश दिया गया।

मद सं0 : 11

श्री सुभाष चन्द, अवर अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण के पिता की चिकित्सा के व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्देश दिया गया।

मद सं0 : 12

श्री भुल्लन सिंह, माली, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को सडक दुर्घटना में चोटिल पैर के घुटने के उपचार में होने वाले व्यय अंकन रू0 96,479/– की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्देश दिया गया।

मद सं0 : 13

मेरठ महायोजना 2021 में कृषि एवं नगरीय कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से (बोर्ड द्वारा स्वीकृति उपरान्त) मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज एवं इन्जीनियरिंग कालेजों के निर्माण अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

मद सं0 : 14

शासनादेश संख्या–4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के द्वारा भेजे गये कतिपय संशोधनों को अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

मद सं0 : 15

मैसर्स पंजाब डीजल द्वारा पार्टनर श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा मेन दिल्ली रोड़ से प्रभाव शुल्क लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मेरठ महायोजना 2021 के पृष्ठ सं0 85 में उल्लिखित कार्यालय/व्यवसायिक भूउपयोग के मामलों में प्रभाव शुल्क न लिये जाने के प्राविधान को समाप्ति करते हुए मैट्रिक्स में अंकित प्रभाव शुल्क लिया जाये।

मद सं0 : 16

मानचित्र शुल्कों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित वृद्धि अत्यधिक प्रतीत हो रही है। अतः उक्त प्रस्ताव के कॉलम 3 में वर्तमान में लागू दर तथा कॉलम 4 में प्रस्तावित दर को जोडकर उसका 50 प्रतिशत वसूल किया जाये। औद्योगिक प्रकरणों में यह दर प्रस्तावित दर का 50 प्रतिशत होगी। उक्त वृद्धि 6 माह लिये लागू की जाय यदि 6 माह बाद आवश्यकता हो तो पुनः तदविषयक वृद्धि प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0 : 17

आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम्स की स्थापना हेतु निर्धारित नीतियों संशोधन के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

मद सं0 : 18

<u>वाह्य विकास शुल्क की बढोत्तरी के सम्बन्ध में।</u>

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मद सं0 : 19

<u>शासन के पत्र संख्या–5159/8–3–2011 विविध/11 दिनांक 14.11.2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत परिषद/विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत चयनित/लाइसेंस प्राप्त विकासकर्ताओं द्वारा किये जा रहे विकास की समीक्षा करने के सम्बन्ध में।</u>

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि लाईसैंसधारक/विकासकर्ता शासन की नीति के अनुसार एल0आई0जी0 भवनों व ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण करें एवं तदविषयक शासनादेश में उल्लिखित क्षेत्रफल तक की भूमि समेकित (Land assemble) करें। तदनुसार शासन की नीति के अनुसार तलपट् मानचित्र में शामिल भूमि के भूउपयोग परिवर्तन/भूमि पुर्नग्रहण की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

मद सं0 : 20

<u>पल्लवपुरम् आवासीय योजना फेस–द्वितीय को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना।</u>

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के मुख्य अभियन्ता अपनी–अपनी टीम के साथ योजना में कराये गये विकास कार्यो का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं विकास कार्यो में पायी गयी कमियों/अवशेष कार्यो की सूची बनाते हुए उनको दूर कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये।

मद सं0 : 21

श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–प्रथम को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के मुख्य अभियन्ता अपनी–अपनी टीम के साथ योजना में कराये गये विकास कार्यो का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं विकास कार्यो में पायी गयी कमियों/अवशेष कार्यो की सूची बनाते हुए उनको दूर कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये।

मद सं0 : 22

गंगानगर आवासीय योजना को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के मुख्य अभियन्ता अपनी–अपनी टीम के साथ योजना में कराये गये विकास कार्यो का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर लें एवं विकास कार्यो में पायी गयी कमियों/अवशेष कार्यो की सूची बनाते हुए उनको दूर कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये।

मद सं0 : 23

प्राधिकरण की पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा के खसरा सं. 328 क्षेत्रफल 2–9–0 बीघा या 7411.25 वर्ग गज में से महायोजना मार्ग से प्रभावित भूमि को छोडते हुए शेष भूमि के समायोजन का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण जिलाधिकारी, मेरठ से करा लिया जाये एवं परीक्षण आख्या आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाय।

मद सं0 : 24

प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहिया नगर योजनाओं में अर्जित भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा बनाये गये मकानात की भूमि जिसका सर्वेक्षण वर्ष 1990 में किया गया को अर्जन मुक्त / छोडे जाने के सम्बंध में।

मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

22/12/2011

(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

22.12.2011

(जे0सी0आदर्श)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

22.12.11

(भुवनेश कुमार)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।